महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर–321001

Tele No.: 05644-220229 (O) Fax No. : 05644-220560 (O)

Email-academic@msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :— प. 1(11)मसूबृवि / बोम / 2019 / दिनांक:— 22.08.2019

दिनांक 18 अगस्त 2019 को आयोजित प्रबन्ध–मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 18.08.2019 को अपराह्न 03:00 बजे सभागार में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो0 अश्वनी कुमार बंसल, माननीय कुलपति, म. सू. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
2. श्री शौकत अली, Nominee of ACS, Finance
3. श्री रोहित बोहरा, विधायक राजाखेडा, Government Nominee
4. डॉ0 विवेक शर्मा, Vice-Chancellor's Nominee
5. डॉ0 लता शर्मा, Government Nominee
6. डॉ0 सौदान सिंह बघेल, प्राचार्य, बाबा लक्ष्मण दास कॉलेज, भरतपुर, Government Nominee
7. डॉ0 सुरेन्द्र कुमार, डीन, फैकल्टी ऑफ एजूकेशन एवं प्राचार्य, डी.आर.एम. कॉलेज,मनियॉ,धौलपुर V.C.'s Nominee
8. डॉ0 राजेश गोयल, सदस्य सचिव, कुलसचिव, म. सू. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

अध्यक्ष / कुलपति ने प्रबन्ध–मण्डल के सभी उपस्थित सदस्यों व नए सदस्यों का बैठक में स्वागत किया तथा नए सदस्यों का सदन में परिचय कराया।

सदस्य प्रो. जे.पी. यादव, डा. सोहन लाल मीना एवं श्रीमती जाहिदा खान (विधायक कॉमा) ने अलग–अलग कारणों से बैठक में शामिल न हो पाने में असमर्थता की सूचना प्रेषित की थी, जिससे सदन को सूचित किया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिए गए –

क्र.सं	एजेण्डा बिन्दु	विभाग
बिन्दु संख्या 1 **निर्णय**	**<u>दिनांक 20.05.2019 को कार्यवाही विवरण</u>** कुलपति महोदय ने सूचित किया कि प्रथम दीक्षान्त समारोह प्रबन्ध–मण्डल के निर्देशों के आलोंक में तय तिथि पर सम्पन्न कराया गया। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय की खुलकर प्रशंसा की। सभी सदस्यों ने इसके सफल आयोजन हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी।	समस्त विभाग
बिन्दु संख्या 2. निर्णय	प्रगति रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक और एस.–1 से एस.–11 तक सभी बिन्दुओं की प्रगति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। 2.1 **एजेण्डा आइटम 6.1** पर वर्णित स्टाफ को लॉ इन्स्टीट्यूट में भेजने का जो फैसला 20 मई को हुआ था उसको अब Urgently Implement किया जाये और 10 में से कम से कम 07 आदमी लॉ इन्स्टीट्यूट में भेजे जायें और उसका संचालन करें। एक सहायक रजिस्ट्रार श्री प्रशान्त कुमार एवं एक सहायक लेखाकार श्री जितेन्द्र सिंह Law Institute में बैठेंगे।	समस्त विभाग

③

2.2 कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का कोई भी कार्य AR श्री प्रशान्त कुमार एवं सहायक लेखाकार व स्टाफ वहां बैठकर कर सकते हैं जिससे Law Institute व विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने में सहयोग मिलेगा।

04–05 विभाग होने के कारण अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाना चाहिए। Man Power की कमी की वजह से विश्वविद्यालय के काम नहीं रूकने चाहिए।

2.3 वि.वि. में जो Promotion की Post हैं उन पर राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार एवं स्वायत्तशासी संस्थानों में निर्धारित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को Deputation पर Promotion पर बुलाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

<u>एजेण्डा आइटम 6.4</u> पर वर्णित स्टाफ भी उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया जाय।

बिन्दु संख्या 6एस (i) के संदर्भ में प्रबन्ध–मण्डल ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के भवन निमार्ण हेतु जो भी धनराशि की आवश्यकता है वह विश्वविद्यालय फण्ड से ले ली जाय। यह राशि सरकार से मिलने पर वापस विश्वविद्यालय के फण्ड में जमा करा दी जाय। स्पोर्ट्स का अनुभवी सलाहकार नियुक्त कर पूरा प्रस्ताव तैयार किया जाय तथा प्रबन्ध–मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय फण्ड से धन अवमुक्त कर नए भवन के निर्माण को अतिशीघ्र पूरा किया जाय।

रिपोर्टिंग आईटम्स के बिन्दु

दिनांक 20.05.2019 के अन्य मुद्दों के Item No 3 पर निर्णय को कार्यान्वित किया जाए। Development Fund के बारे में निर्णय किया गया कि उस मीटिंग में पारित दो बस छात्राओं के लिए एक धौलपुर गर्ल्स कॉलेज व दूसरी बस भरतपुर की छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित Dovelopment Fund से खर्च कर चलाने के प्रस्ताव को फिर पास किया।

दिनांक 18.08.2019 के निर्णय इस हेतु कुलपति को रू. 10 लाख तक के व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। उसके ऊपर की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रबन्ध–मण्डल से लेनी होगी।

* साथ ही सत्र 2019–20 में विकास शुल्क में रू. 10/– प्रतिछात्र की बढ़ोतरी किए जाने को प्रबन्ध–मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की।

संख्या 4– पर मा. सदस्य श्री रोहित बोहरा ने ध्यानाकर्षण कराया तथा सभी सदस्यों ने आम सहमति से यह निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के विकास फण्ड को पृथक कर उसकी विस्तृत व्यवस्था बनाई जाय। पूर्व में दिनांक 20.05.2019 की प्रबन्ध–मण्डल द्वारा किए निर्णयानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रबन्ध–मण्डल के अनुमोदनोपरान्त बसों के क्रय की प्रक्रिया को सितम्बर 2019 माह में पूरा किया जाय।

शेष सभी बिन्दुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

<u>**Agenda Point 3.**</u>

बिन्दु संख्या 3.1 निर्णय

The Board of Management noted that there is no restriction on University. for fixing the fee. It was noted that the universities have adopted Rajasthan University fee structure, which is very low. Such universities are spending out of the University fund for teaching arrangements, remuneration, salary /payment of teachers on contract.

Decision I

- It is decided to utilise University fund for running of all the University Courses started in university. The endeavour would be be to recover substantial part of expense from students, thus we will run it on subsidozed rates under the Hybrid Financing.
- The Hostel facility shall also be made available for university courses on which University would make expenditure from its own funds.

On celebrations of the Ist Convocation for the years 2017 and 2018, the following concessions are made for students.

b) Hostel Accommodation:

- On hostel accommodation the university would subsidise the stay of students to sufficient extent.

- The effort shall be that the student should be able to stay within Rs 1200/ per month, which is quite higher than Rajasthan University hostels. A beginning should be made and building shall be hired and shared rooms would be given.

- University shall spend on Mess expense on utensils, crockery, security and one or two cooks & helper in each set up shall be borne by the University.

- For girls more subsidy may be sanctioned as need arises, as they need protected hostels more than boys.

-Till the time hostel is not established. The subsidy per resident student shall be upto Rs. 6000/- per year w.e.f. 24-07-2019, even if the hostel is not made, on proof of expense in the knowledge of University officers.

c) Fee for courses: Even though there is likelihood of expense per student of about Rs 20000/- as course has to be improved than the years 2017-19 or last time.

The fee is thus lowered as follows.

P.G. Courses –

• M.A./M.Sc. - Home Science* * with Fashion Designing and Interior Designing • M.A.- Drawing & Painting * * With Computer Graphics and Designing	**Fee**- Rs. 12,000/- + caution Money + Annual Charge (For I & II Sem)Rs. 12,000/- Same fee of Rs. 12000/- For III & IV Sem in both the courses
• M.Sc. - **Operational Research** *(Available only in this University within Rajasthan)	**Reduced Fee**-Rs. 20,000/- +Annual charges+ caution Money on 21-06-19 and reduced to Rs. 18000/- + caution Money on 24-07-19
• M.Sc. - Mathematics **Reduced Fee**-Rs. 20,000/- + caution Money on 21-06-19	Reduced to Rs. 18000/- + caution Money on 24-07-19
• M.Sc. - Computer Science **Reduced Fee-to** Rs. 22,000/-+ caution Money on 21-6-19	Before opening admissions it was reduced to Rs. 18000/- + caution Money + Annual charges on 24-07-19
• **5 yrs LLB**	The 5 books to the extent of Rs 2000/- shall be given free. Rs one thousand shall be spent per student and on Photostat on w.e.f. 21-6-19

	and **24-07-2019,** **It is further expanded to show as below.** Books of Ist SemesterFree, Free Internet , Free 1000 pages Photostat in a year, Includes Moot Court and Legal Aid fee, Journal fee, Pre Semester fee, project fee	
	d) Fees for LLM and LLB were left as it is. In deserving cases the concession shall be given to weaker students for which rules shall be made 21-6-19. e) All the expenses of Advisory Council of Law, Computer Science, Operational Research and Maths on one hand and also of HS and D&P shall be spent from University fund. 21-w.e.f 21- 6-19	
बिन्दु संख्या 3.2 निर्णय	**Order dated 20-07-2019 को 12(6) के तहत** BA-LLB and BBA-LLB के छात्रों को प्रवेश हेतु आकर्षित करने के लिए कुलपति महोदय ने 10 स 15 हजार प्रथम वर्ष एवं आगामी वर्षों में मैरिट के आधार पर स्कॉलरशिप देने का प्रावधान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	
बिन्दु संख्या 3.3 निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	
बिन्दु संख्या 4	**Fee forBA-LLB and BBA-LLB the fee was lowered from** 60,000/- Per Year to Rs 55,000/- Per Year for girls only + Caution money and admission fees w.e.f 24-7-2019 :- On 8th Aug 2019 the concession made to girls was made applicable to men or boys and they shall also be charged fee of 55000/- for the year w,e,f, 16 Aug 2019. This concession shall not be made available to existing 8 students.	
निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	
Agenda Point 5		
5.1	It was resolved that it is necessary and conducive to give further concessions as may be advisable in consultation with Finance Committee for this year if few admissions can be made till 15 Sept 2019 or such extended time as may be allowed by VC. The VC, Dy. Director and or Registrar shall be authorised to process the subsidy/Scholarship to augment the number of students. The cost for running the course for 08 students upto 60 students shall be the same, therefore it shall be good to earn by taking all measures for which VC is authorised to allow on recommendation of Coordinator, Dy Director.	Dy.Director or MSB Global Law Institute & Registrar

(6)

बिन्दु संख्या 5.1 निर्णय	B.C.I approval के बाद भी proper admissions नहीं होना चिन्ता का विषय है। - Govt., Higher Education Department को प्रबन्ध–मण्डल की ओर से MSB Global Law Institute को National Law Institute का दर्जा दिए जाने के लिए request letter भेजे जाने का निर्णय किया गया। **– सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**	
बिन्दु संख्या 5.2 निर्णय	In addition, the Rajsthan Government may be requested to give the status of National Law Institute as so as to give benefits to North Eastern Rajasthan and make it a National Law Institute. **राजस्थान सरकार को request letter भेजने का निर्णय किया गया।**	
बिन्दु संख्या 6 निर्णय	विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध–मण्डल की तरफ से सदस्य डा. सुरेन्द्र कुमार को मनोनीत किया गया।	वित्त शाखा
बिन्दु संख्या 7 निर्णय	05 प्रोफेसर की poasts are sanctioned but permission to recruit is pending अनुमति मिली हुई है। इन पर नियुक्ति के लिए permission के लिए सरकार को request भेजी जाय, जिससे कि प्रोफेसर्स भी लगाए जा सकें। The justification is that without minimum of 3 Professors out of 5 and 6 Associate Professors out of 10 no activity which has been started can be sustained. It was resolved that the MLAs would assist as they volunteered.	Registrar
बिन्दु संख्या 8 निर्णय	In view of experience of the Student's Union it is resolved that for the present, there will be two Presidents – Law Institute (BA-LLB, BBA-LLB, LLM) का अलग। – D & P, Home Science, Maths का अलग छात्र संघ होगा। – पहले से ही छात्र संघ पदाधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में बता दिया जाय and no compromise be made। – प्रबन्ध–मण्डल ने 02 Students Union एक faculty of Arts and Science, दूसरी MSB University Global law Institute के constitution और discipline, Code of Conduct पर विश्वविद्यालय द्वारा बताए गई समस्याओं का ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को authorise किया कि वह चुनाव से पहले ही संविधान और discipline की व्यवस्था कर दें।	
बिन्दु संख्या 9 निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों का Sitting Charge रूपये 3000/– करने का अनुमोदन किया गया।	
	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	

बिन्दु संख्या 10 निर्णय	नए परिसर में डा. सुरेन्द्र कुमार जी के द्वारा 1000 पौधे लगाए जाने तथा तीन वर्ष तक उनकी देखभाल भी किया जाएगी। सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए सहमति प्रदान की।	
बिन्दु संख्या 11 निर्णय	1. बोम ने दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए:— 1.1. बोम के माननीय सदस्यों के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जो Building तैयार हो चुकी है उसको Usable बनाकर उसमें दो से तीन महीने के अन्दर Shift करने का प्रबन्ध किया जाये। पानी का पैसे की File देखकर अगर वह Installment में किया जा सकता हो तो 74 में से 37 लाख रूपया अभी देकर कार्य आगे बढ़ाया जाये। इसमें कैन्टीन व एटीएम आदि की व्यवस्था कराई जाए। 1.2. जैसा कि 20 मई 2019 को भी तय किया गया था। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने Fund से एक करोड़ रूपये तक आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा निर्माण के लिए उनको दे दें व सरकार से आने के बाद Recover कर लें। 1.3. विश्वविद्यालय के Land होने के कारण Sports की activity को develop करने के लिए विश्वविद्यालय अपने Fund से खर्चा कर Proposal को आगे बढ़ाये। इसके लिए कोई 3 से 4 कमरे का पवेलियन 2–3 खलने के स्पोर्टस ग्राउण्ड के साथ तैयार करने हैं। इसको Implement करने के लिए कन्सलटेन्ट विश्वविद्यालय स्तर पर लगाकर उसको आगे बढ़ाना है इसके लिए Proposal को तैयार करके सितम्बर के आखिरी सप्ताह में बोम की मीटिंग प्रस्तावित है। यह कार्य विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय Fund से कर लेगा। इस वर्ष में 50 लाख के लगभग अपेक्षित है। 1.4. विश्वविद्यालय Central Government की Minority Ministry से मेंडम जाहिदा खान की मदद लेते हुए Minority Ministry से प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए कार्य करे। इसमें Hostelबनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।	
बिन्दु संख्या 12 निर्णय	बोम ने यह भी पास किया कि development Fund विश्वविद्यालय की Amenities व कार्यकुशलता के लिए उठाया गया कदम है। इसमें से 10 लाख रूपया कुलपति के discretion से विश्वविद्यालय के कार्यों व किसी भी अन्य affiliated कॉलेज के कार्यों के लिए खर्चा किया जा सकेगा। 3 लाख तक के विकास कार्यों पर खर्चा कुलपति महोदय स्वयं शुरू कर सकेंगे तथा 3 लाख से 10 लाख रू. तक का कार्य प्रबन्ध–मण्डल की पूर्वानुमति से प्रारम्भ कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के पास इस राशि का लगभग 1 करोड़ रूपये से ज्यादा का अनुमान है। यह development Fund विश्वविद्यालय बोम की अनुमति से खर्च करने के लिए सक्षम होगा।	

	दिनांक 18.08.2019 के निर्णय इस हेतु कुलपति को रू. 10 लाख तक के व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। उसके ऊपर की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रबन्ध–मण्डल से लेनी होगी। साथ ही सत्र 2019–20 में विकास शुल्क में रू. 10/– प्रतिछात्र की बढ़ोतरी किए जाने को प्रबन्ध–मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की।	Account sec. Exam Section
Table Agenda		
निर्णय 13	Prof. Satish Kumar, Kashi Vidyapeeth Vanarasi, Mobile No 9415626702 को VC's Search Committee में प्रबन्ध–मण्डल का प्रतिनिधि सदस्य सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।	VC
बिन्दु 14	मा. सदस्यों ने पं0 मिश्रीलाल कॉलेज, धौलपुर के संदर्भ में शिकायत की और कहा कि वहाँ शिक्षक नहीं हैं। कॉलेज में मैरिज होम चलता है। उसे कैसे सम्बद्धता दी गई है।	Affiliation branch
निर्णय 14	Serious view has to be taken for named and other such institutions. औचक निरीक्षण कर जॉच करते हुए दोषी पाए जाने पर कार्यवाही का निर्णय किया गया।	
बिन्दु 15	The fee for various actions in university was made into a chart for ease of Accounts Department	
निर्णय 15	It was highlighted that the powers and procedures applicable in Rajasthan University would continue. The staff is not authorised to refuse the directions of VC. The chart is reproduced below and approved:	

क्र. सं.	समितियों के नाम/सदस्य	मानदेय/सिटिंग चार्ज की राशि	यात्रा भत्ता	विशेष विवरण
1	1 प्रबन्ध मण्डल के सदस्य	सिटिंग चार्ज 3000/–	1 केवल प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने की पात्रता करने वाले सदस्यों को वायुयान का वास्तविक भाड़ा टिकट प्रस्तुत करने पर 2 रेल से यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी ए.सी./टू टायर ए.सी./थ्री टायर ए.सी. का वास्तविक भाड़ा टिकट प्रस्तुत करने पर 3. टैक्सी/स्वयं की कार से यात्रा करने पर अधिकतम 11/– रू0 प्रति कि.मी. एवं टैक्सी के मामले में वास्तविक	1 सिटिंग चार्ज/मानदेय के साथ दैनिक भत्ता (डी.ए.) देय नहीं होगा। 2 यदि कोई प्राधिकारी एक विजिट में विश्वविद्यालय के दो काम अटेण्ड करता है तो जिस कार्य के लिए अधिक चार्जेज देय है उनका पूरा भुगतान किया जावेगा तथा दूसरे कार्य का आधा भुगतान किया जावेगा। 3 कुलपति महो. का आदेश होने पर नाश्ता/खाना/ ठहरने आदि की व्यवस्था पृथक से की जा सकेगी। 4 बिलों का भुगतान संबंधित शाखा प्रभारी से सत्यापन के पश्चात् किया जावेगा। 5 बिल पारित होने के बाद भुगतान संबंधित के बैंक खाते में किया जावेगा।
2	1 वित्त समिति के सदस्य 2 अकादमिक परिषद	सिटिंग चार्ज 2000/–		
3	स्पोर्टर्स बोर्ड के सदस्य	सिटिंग चार्ज 600/–		
4	1 डी.आर.सी. के सदस्य 2 बी.ओ.एस. के सदस्य 3 बी.ओ.आई. के सदस्य	सिटिंग चार्ज 1500/– (भरतपुर–धौलपुर के अलावा) भरतपुर धौलपुर से आने वाले सदस्यों के लिए पात्रता के अनुसार नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा।		
5	साक्षात्कार हेतु एक्सपर्ट (सदस्य) को सिटिंग चार्ज (प्रति दिन)	1 कुलपति 4000/– 2 किसी संस्थान के निदेशक 3000/– 3 प्रोफेसर राजस्थान के बाहर के 2500/– 4 प्रोफेसर राजस्थान के 2000/– 5 ऐसोसियेट प्रोफेसर राजस्थान के बाहर के 2200/ 6 ऐसोसियेट प्रोफेसर राजस्थान के 1800/– 7 विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों से आने वाले सदस्यों के लिए 500/–		

	6	सम्बद्धता हेतु निरीक्षण के लिए जाने वाले निरीक्षिकों को सिटिंग चार्ज	1 विश्वविद्यालय के बाहर से जाने वाले निरीक्षक को सिटिंग चार्ज 1000/– प्रति महाविद्यालय, 2 या 2 से अधिक महाविद्यालयों का निरीक्षण करने पर 2000/–, एक समिति के दो कॉलेजों का एक दिन में निरीक्षण करने पर 1600/– 2 विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को सिटिंग चार्ज 700/– 2 या 2 से अधिक महाविद्यालयों का निरीक्षण करने पर 1400/– रू0, एक समिति के दो कॉलेजों का एक दिन में निरीक्षण करने पर 1200/–	किराया जो भी कम हो भुगतान किया जावेगा। 4 टोल टैक्स पृथक से देय होगा। 5 बस से यात्रा करने पर बस का भाड़ा 6 इन्टरनल सदस्य (स्थानीय) को लोकल कन्वेन्स के रूप में 250/– देय होगे	
	7	उपरोक्त के अलावा अन्य समितियों के सदस्यों को	लोकल कन्वेन्स के रूप में 250/–	–	
	8	रैक्सो क्लर्कों/संविदा कर्मियों को परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए बाहर यात्रा करने पर	राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार डी.ए. पत्रातानुसार देय होगा।	राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार पात्रता के अनुसार देय होगा।	

बिन्दु 16 : विश्वविद्यालय के एम.एस.बी. ग्लोबल लॉ इन्स्टीट्यूट का बार कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया (बी.सी.आई.) द्वारा मान्यता हेतु निरीक्षण के उपरान्त सशर्त मान्यता प्रदान की गयी है। शर्तों के अनुसार रू0 2.00 लाख की डिफाल्ट राशि एवं रू0 5.00 लाख विलम्ब शुल्क की मांग बी.सी.आई. के द्वारा की गयी है। इस राशि का बजट प्रावधान किया जाना होगा। यह बिन्दु बोम की बैठक में विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय 16 – प्रारम्भ में केवल 2 लाख रू. भेजने की सहमति हुई तथा 5 लाख रू. के लिए आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। आपत्ति स्वीकार नहीं होने की स्थिति में तदनुसार भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव द्वारा मा. अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति